न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 111/24 निर्णय दिनांकः– 24-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/99)

1. हरिराम पुत्र श्री तारूराम जाति जाट निवासी चक 2 एम एस एम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हिमताराम पुत्र श्री कोजाराम जाति जाट निवासी चक 2 एम एस एम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक शून्य
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र गौड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 14–06–2023 जिसके द्वारा अपीलांट को मुरब्बे के चिपती भूमि का मिडियम पेच आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 2 एम एस एम ए के मुरब्बा नम्बर 221/51 के किला नम्बर 13 ता 15, 16 ता 18 व 25 व मुरब्बा नम्बर 221/60 में किला नम्बर 2 ता 10, 11 ता 13 में स्थित है। इसी चक में मुरब्बा नम्बर 221/59 के किला नम्बर 14 ता 17 व 21 ता 25 की 9 बीघा भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। जिसके आवंटन की वरियता अपीलांट् की होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी चक में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् चक में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का अपीलांट का भी बनता है अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो नियमानुसार अत्याधिक बोलीदाता को उक्त भूमि का आवंटन किया जाता। उक्त कृत्य से राज्य सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुॅचता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुॅचाया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर व मनमाने तरीके से की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बतौर मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तमाम जॉच के उपरान्त व संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वादग्रस्त भूमि को शुद्व रूप से आराजीराज व मौके पर खाली व किसी भी प्रकार से गजट (मोहरबन्द/विशेष आवंटन गजट) में प्रकाशित नहीं होने तथा अन्य कोई विवाद/स्थगनादि नहीं होने का उल्लेख किये जाने पर व वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में ही निहित होने के आधार पर ही आराजी जैर का बतौर मिडियम पेच दर से देय होने के आधार पर की गई थी। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट् के उत्पन्न हो चुके है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूकों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। नाही अपीलांट् की भूमि मुरब्बा नम्बर 197/59 में निहित ही है। ऐसी स्थिति में बिना प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त भूमि के आवंटन के अधिकार किस प्रकार उत्पन्न होते है, अपीलांट साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–06–2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–02–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 ए का अवलोकन किया गया। इस नियम के अनुसार –**14-A. Allotment of medium patch.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area at the price of special allotment for land of a similar soil class in the neighbourhood.**

Provided that if more than one tenant of the adjoining land apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of medium patch, the allotting authority may allot such medium patch to the tenure tenants of the same chak or of the adjoining chak subject to the ceiling area.

Provided further that if more than one tenant apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपरोक्त नियम एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है किरेस्पोडेन्ट हिमताराम ने उसी मुरब्बें की भूमि का भूधृति काश्तकार होने के कारण मिडियम पेच आवंटन के लिये दिनांक 28–12–2022 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने उसी मुरब्बे तथा पड़ौसी मुरब्बें के काश्तकारों का विवरण पेश किया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र कमांक एसडीओ/पूगल/राजस्व/2023/2690 दिनांक 01–03–2023 के द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई तथा उक्त सार्वजनिक सूचना को अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय, तहसील कार्यालय, सबंधित चक की ग्राम पंचायत एवं वादगत भूमि के चक, 2 एमएसएम ए के सहज दृश्य स्थल पर चस्पा किया गया। सार्वजनिक सूचना के उपरान्त किसी का कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने तथा पूर्व से किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नही होने से दिनांक 14–06–2023 को आवेदक हिमताराम के पक्ष में आवंटन कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि बाबत किसी प्रकार का आवेदन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने एवं रेस्पोडेन्ट् हिमताराम अकेला आवेदक होने के कारण मिडियम पेच आवंटन नियमों के तहत रेस्पोडेन्ट अकेला ही आवंटन का पात्र था। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है एवं आवंटित भूमि की समस्त राशि जमा करवा देने से विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–06–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24-03-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर